



2026:AHC:6600-DB

रिट-सी संख्या 44710 वर्ष 2025

एम/एस विजिटेक प्राइवेट लिमिटेड

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: नरेन्द्र सिंह

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.)

एएफआर

18.12.2025 को आरक्षित

12.01.2026 को सुनाया गया

कोर्ट नंबर-1

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

(माननीया न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह के संक्षिप्त विवरणधारी विद्वान अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार यादव तथा राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुकुल त्रिपाठी को सुना गया।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन संस्थित वर्तमान रिट याचिका के

माध्यम से याचिकाकर्ता उपयुक्त रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किए जाने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- प्रार्थना करता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या-4 द्वारा जारी आक्षेपित अनिश्चितकालीन काली सूचीबद्ध करने के आदेश, पत्र संख्या एसएसए/जे.एस.पी./12226-34/2025-26 दिनांक 26.11.2025 तथा पत्र संख्या SSA/ज़िला संसाधन प्रशिक्षण/9852-60/2025-26 दिनांक 29.09.2025 को निरस्त किए जाने हेतु उत्प्रेषण (Certiorari) की प्रकृति की रिट भी सम्मिलित है, क्योंकि उक्त पत्र याचिकाकर्ता के कार्यक्षेत्र का विस्तार करता है तथा शासनादेश दिनांक 26.07.2024 के प्रतिकूल है। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी प्रार्थना की गई है कि परमादेश (Mandamus) की प्रकृति की रिट जारी कर प्रतिवादियों को, संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक रूप से, यह निर्देशित किया जाए कि वे तत्काल याचिकाकर्ता को जिला शाहजहाँपुर में निविदा संख्या जीईएम/2025/बी/5794364 के अधीन 168 ई.सी.सी.ई. शिक्षकों एवं 40 तकनीकी प्रशिक्षकों की उपलब्धता हेतु प्रदत्त संविदा को पुनर्स्थापित एवं बहाल करें; GeM (जीईएम) पोर्टल पर अनुरक्षित काली सूची तथा उत्तर प्रदेश राज्य एवं उसके प्राधिकारियों के समस्त अभिलेखों से याचिकाकर्ता का नाम हटाएँ; याचिकाकर्ता को भावी निविदाओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें; तथा विद्यमान संविदा को आक्षेपित काली सूचीबद्ध करने के आदेश के संदर्भ के बिना जारी रहने दें।
3. याचिकाकर्ता कम्पनी विभिन्न शासकीय विभागों को मानव संसाधन एवं आउटसोर्सिंग सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है तथा वह समग्र शिक्षा अभियान के अधीन प्रतिवादियों द्वारा की गई कुछ प्रशासनिक कार्यवाहियों को चुनौती दे रही है, जिनका परिणाम दिनांक 26.11.2025 के काली सूचीबद्ध करने का आदेश के रूप में हुआ, जिसमें उस अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता कम्पनी को काली सूचीबद्ध किया गया है।
4. अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि राज्य सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अधीन संविदात्मक नियोजनों को विनियमित करने हेतु शासनादेश संख्या 68-5099/178/2024 (बेसिक शिक्षा) दिनांक 26.07.2024 जारी किया गया था। इसके अनुसरण में अतिरिक्त नियम एवं शर्तों सहित GeM निविदा संख्या जीईएम/2025/बी/5794364 दिनांक 11.01.2025 को आमंत्रित की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता ने उक्त निविदा प्रक्रिया में सहभागिता की तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्य के निष्पादन हेतु चयनित किया गया।

5. इसके अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या-4 ने पत्राचार दिनांक 16.06.2025 के माध्यम से याचिकाकर्ता को 168 ई.सी.सी.ई. शिक्षकों के नियोजन हेतु सेवा योजना पोर्टल पर विज्ञापन प्रकाशित करने की अपेक्षा की। तत्पश्चात्, पत्राचार दिनांक 29.09.2025 द्वारा प्रतिवादी संख्या-4 ने याचिकाकर्ता को अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत 504 अभ्यर्थियों की मेरिट-वार सूची तैयार करने हेतु निर्देशित किया, साथ ही कार्य निष्पादन के संबंध में कुछ आपत्तियाँ भी उठाई गईं। उक्त पत्राचार के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.10.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया।
6. प्रतिवादी संख्या-4 द्वारा दिनांक 28.10.2025 एवं 31.10.2025 को अन्य पत्राचार भी जारी किए गए, जिनके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने संबंधित तिथियों पर समर्थक अभिलेखों सहित अपने उत्तर प्रस्तुत किए। तत्पश्चात्, प्रतिवादी संख्या-4 ने आक्षेपित आदेश दिनांक 26.11.2025 पारित करते हुए याचिकाकर्ता को काली सूचीबद्ध कर दिया, जबकि उसकी अवधि तक का भी उल्लेख नहीं किया गया।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को काली सूचीबद्ध किए जाने संबंधी आक्षेपित आदेश दिनांक 26.11.2025 मनमाना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला तथा विधि की दृष्टि में अस्थिर है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश में काली सूचीबद्ध किए जाने की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है और इस प्रकार यह अनिश्चितकालीन एवं खुली अवधि के अपवर्जन (debarment) के रूप में प्रभावी होता है, जो विधि की दृष्टि में अनुमेय नहीं है। इस संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांतों पर विश्वास व्यक्त किया गया कि काली सूचीकरण के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं तथा यह कारणों द्वारा समर्थित निश्चित अवधि के लिए ही किया जाना चाहिए।
8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश से पूर्व

की गई कार्यवाहियाँ शासनादेश दिनांक 26.07.2024, निविदा की शर्तों तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतिरिक्त नियम एवं शर्तों के परे थीं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 29.09.2025 को जारी निर्देश, जिसके द्वारा मूल अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत 504 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने की अपेक्षा की गई, कार्यक्षेत्र के एकपक्षीय विस्तार के समान था, जिसकी न तो संविदात्मक ढाँचे के अधीन परिकल्पना की गई थी और न ही वह मूल नियोजन का भाग था; तथा ऐसे बाह्य निर्देश का अनुपालन न किए जाने को संविदा के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जा सकता था।

9. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 21.10.2025, 28.10.2025 तथा 31.10.2025 को समर्थक अभिलेखों सहित विस्तृत प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए गए थे, तथापि न तो उन पर विचार किया गया और न ही आक्षेपित आदेश में उनका कोई परीक्षण किया गया। काली सूचीकरण का आधार बनने वाले किसी भी अभिलेख को काली सूचीबद्ध करने का आदेश पारित किए जाने से पूर्व याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया। स्वयं आक्षेपित आदेश से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए प्रतिरक्षण का उसमें कोई उल्लेख नहीं है।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित कार्यवाही का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के कार्य निष्पादन में बार-बार कमियाँ पाई गईं, विशेषकर कार्मिकों के नियोजन एवं सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या-4 द्वारा सुधारात्मक निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया।

11. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उसके आचरण का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 29.09.2025, 28.10.2025 तथा 31.10.2025 के विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे तथा याचिकाकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने उनके प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किए थे। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि काली सूचीकरण एक प्रशासनिक उपाय है, जिसे लोकहित की रक्षा करने तथा उन एजेंसियों की संलग्नता को रोकने के लिए अपनाया जाता है, जिनका कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को काली सूचीबद्ध करने का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के समुचित विचार के उपरांत लिया गया था।

12. इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या-4 को जीईएम घटना प्रबंधन नीति (GeM Incident Management Policy) के अधीन अनिश्चितकालीन काली सूचीकरण का आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त था, तथा क्या आक्षेपित आदेश दिनांक 26.11.2025 कार्यवाही में मनमानेपन तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण दूषित है, विशेषतः इस कारण कि निर्णय का आधार बनने वाली सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार नहीं किया गया तथा आदेश में काली सूचीबद्ध किए जाने की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई।

13. अब यह न्यायालय उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर हेतु अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा उद्धृत निर्णयों में प्रतिपादित स्थापित विधिक स्थिति का परीक्षण करता है।

14. अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर, जिसमें पक्षकारों के मध्य आदान-प्रदान किए गए पत्राचार, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथा आक्षेपित आदेश की विषयवस्तु सम्मिलित है, यह स्पष्ट है कि काली सूचीबद्ध करने का आदेश अनिश्चित अवधि के लिए पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश में काली सूचीबद्ध किए जाने की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रत्युत्तरों एवं समर्थक अभिलेखों का न तो उल्लेख किया गया है और न ही उन पर विचार किया गया है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि मूल अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत 504 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने की अपेक्षा मूल नियोजन की शर्तों का भाग नहीं थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स इरुसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (1975) 1 एससीसी 70, यह धारित किया है कि कारण बताओ नोटिस प्रदान करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उन आरोपों का प्रत्युत्तर देने का अवसर प्रदान करना है, जो उस प्राधिकारी के लिए आधार थे, जो काली सूचीकरण करने पर विचार कर रहा था। उक्त निर्णय में यह अवलोकित किया गया है :-

संविधान के अनुच्छेद 298 के अधीन संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसी व्यापार के संचालन तथा संपत्ति के अर्जन, धारण एवं निपटान तथा किसी भी उद्देश्य हेतु संविदाएँ करने तक विस्तृत होगी। राज्य विधि बनाकर अथवा विधि बनाए बिना भी कार्यपालिका कार्य कर सकता है। राज्य द्वारा व्यापार में ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग संविधान के भाग-III के अधीन है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। अवसर की समानता का सिद्धांत लोक संविदाओं के मामलों में भी लागू होना चाहिए। राज्य को व्यापार करने का अधिकार है, किन्तु राज्य पर समानता का पालन करने का दायित्व भी है। कोई सामान्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार न करने का विकल्प चुन सकता है, परन्तु सरकार भेदभावपूर्वक व्यक्तियों को अपवर्जित नहीं कर सकती। काली सूचीबद्ध करने का आदेश का प्रभाव यह होता है कि लोक संविदाओं के मामलों में किसी व्यक्ति को अवसर की समानता से वंचित कर दिया जाता है। जो व्यक्ति अनुमोदित सूची में नहीं रहता, वह काली सूचीबद्ध करने का आदेश के कारण सरकार के साथ लाभप्रद संबंध स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति सामग्री के क्रय-विक्रय के संबंध में सरकार के साथ व्यवहार करता रहा है, उसका एक वैध हित अथवा अपेक्षा होती है। जब राज्य किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कार्य करता है, तब उस कार्यवाही का विधिसम्मत आधार होना आवश्यक है।”

.....



“20. काली सूचीकरण का प्रभाव यह होता है कि किसी व्यक्ति को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से सरकार के साथ वैध संबंध स्थापित करने के विशेषाधिकार एवं लाभ से वंचित कर दिया जाता है। यह तथ्य कि काली सूचीबद्ध करने का आदेश द्वारा एक निरर्हता उत्पन्न की जाती है, इस बात का संकेत है कि संबंधित प्राधिकारी को वस्तुनिष्ठ संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। निष्पक्ष आचरण के मूल सिद्धांत यह अपेक्षा करते हैं कि किसी व्यक्ति को काली सूची में डाले जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए।”

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोरखा सिन्क्योरिटी सर्विसेज़ बनाम सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2014) 9 एससीसी 105 में उस विधिक प्रश्न पर विचार किया, जो कारण बताओ नोटिस के स्वरूप एवं विषयवस्तु से संबंधित है, जिसे यह निर्णय लिए जाने से पूर्व प्रदान किया जाना आवश्यक है कि नोटिस प्राप्तकर्ता को काली सूचीबद्ध किया जाना है अथवा नहीं, तथा यह धारित किया कि काली सूचीकरण प्रस्तावित करने वाले कारण बताओ नोटिस में ऐसी प्रस्तावित कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि काली सूचीकरण के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं तथा प्रभावित पक्षकार को प्रभावी प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु स्पष्ट सूचना दिया जाना आवश्यक है।
17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोरखा सिन्क्योरिटी सर्विसेज़ (उपर्युक्त) में यह अवलोकित किया:-

“16. यह पक्षकारों का सर्वमान्य प्रकरण है कि कि काली सूचीकरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विधि दृढ़तापूर्वक स्थापित है तथा अधिक विस्तार की अपेक्षा भी नहीं करती। जिस व्यक्ति के विरुद्ध काली सूचीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित हो, उसे अवसर प्रदान करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है और इसके पीछे वैध एवं सुदृढ़ तर्क निहित है। काली सूचीकरण के परिणामस्वरूप अनेक नागरिक तथा/अथवा दुष्परिणामी परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसे उस व्यक्ति की ‘नागरिक



मृत्यु' के रूप में वर्णित किया गया है, जिस पर काली सूचीकरण का आदेश आरोपित किया जाता है। ऐसा आदेश कलंककारी प्रकृति का होता है तथा उस व्यक्ति को शासकीय निविदाओं में भाग लेने से अपवर्जित कर देता है, जिसका अर्थ है कि उसे शासकीय संविदाओं के प्रदान किए जाने से वंचित कर दिया जाता है।”

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक, पश्चिमी दूरसंचार परियोजना, भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य, (2014) 14 एससीसी 731 में यह अवलोकित किया है:-

“25. इतना कहना पर्याप्त होगा कि ‘अपवर्जन’ को अपथगामी आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के एक प्रभावी उपाय के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा उसका प्रायः प्रयोग भी किया जाता है, जिन्होंने संविदाओं के आवंटन को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अधीन लोप एवं कृत्य, कपट, मिथ्या प्रतिवेदन, अभिलेखों के मिथ्याकरण तथा अन्य उल्लंघन किए हों। उल्लेखनीय यह है कि ‘अपवर्जन’ कभी स्थायी नहीं होता तथा अपवर्जन की अवधि सदैव त्रुटिकारक ठेकेदार द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है।”

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वेटइंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2021) 1 एससीसी 804 में भी इसी सिद्धांत का अनुसरण किया तथा यह धारित किया कि कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट रूप से यह इंगित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित कार्यवाही काली सूचीकरण की है। न्यायालय ने यह अवलोकित किया :-

“12. उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में, संभवतः काली सूचीबद्ध किए जाने की अवधि के प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत तर्कों के कारण इस पर विचार करना आवश्यक हुआ। काली सूचीकरण का आदेश किसी वाणिज्यिक व्यक्ति के प्रतिकूल न केवल वर्तमान में प्रभाव डालता है, बल्कि ऐसा कलंक भी आरोपित करता है,



जो भविष्य में बहुत दूर तक प्रभावी रहता है और संभवतः संस्था/संगठन के लिए स्थायी रूप से विनाशसूचक सिद्ध हो सकता है, जिसे 'नागरिक मृत्यु' के रूप में वर्णित किया गया है। अपीलकर्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का स्पष्ट उल्लेख उसके प्रतिवेदनों तथा रिट याचिका में किया गया था, जिसमें राजस्थान निविदा के अंतर्गत उत्पन्न परिणाम भी सम्मिलित थे, जहाँ वर्तमान आक्षेपित आदेश के कारण उसे स्पष्ट रूप से अपवर्जित कर दिया गया था। यह संभावना सदैव बनी रहती है कि यदि समुचित कारण बताओ नोटिस प्रदान किया गया होता तथा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर विधि के अनुसार विचार किया गया होता, तो भले ही प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता को काली सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया जाता, तथापि विशेष रूप से काली सूचीबद्ध किए जाने की अवधि के संबंध में उनके विचार पूर्णतः भिन्न हो सकते थे।”

20. वेटइंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (उपर्युक्त) में प्रतिपादित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त सिद्धांत को पुनः दोहराया तथा आगे यह अवलोकित किया :-

“13. इस न्यायालय ने कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट बीएसएनएल [कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट बीएसएनएल, (2014) 14 एससीसी 731] में, यद्यपि काली सूचीकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया था, तथापि यह ध्यान में रखते हुए कि स्थायी अपवर्जन का आदेश न्यायोचित नहीं था, यह अवलोकित किया: (SCC पृष्ठ 744, पैरा 28)

‘28.2. द्वितीयतः, क्योंकि उस अवधि का निर्धारण करते समय, जिसके लिए काली सूचीकरण प्रभावी रहेगा, प्रतिवादी निगम वस्तुनिष्ठता एवं पारदर्शिता की दृष्टि से ऐसे मामलों में अनुसरण किए जाने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश तैयार कर सकता है। ऐसे दिशा-निर्देशों द्वारा अपराधों, उल्लंघनों तथा संविदात्मक दायित्वों के भंग की गंभीरता के अनुसार



विभिन्न अवधियों के अपवर्जन का प्रावधान किया जा सकता है। यद्यपि सभी प्रकार के अपराधों, दुराचरणों अथवा किसी ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघनों का पूर्णतः विस्तृत उल्लेख करना संभव नहीं हो सकता, तथापि प्रतिवादी निगम यथासंभव ऐसा कर सकता है, जिससे उसमें निहित शक्ति के प्रयोग में मनमानेपन को पूर्णतः समाप्त न सही तो कम अवश्य किया जा सके तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी ठेकेदार के विरुद्ध पारित आदेश की निष्पक्षता के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके।”

21. अभिलेखों के अवलोकन, पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा उपर्युक्त स्थापित विधिक स्थिति का परीक्षण करने के उपरांत, अब हम उसे वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू करने हेतु अग्रसर होते हैं।
22. प्रतिवादीगण यह दावा करते हैं कि काली सूचीकरण लोकहित में किया गया था, किन्तु ऐसी कठोर कार्यवाही का आधार प्रदान करने वाले किसी भी अभिलेख के अभाव, याचिकाकर्ता के प्रतिरक्षण पर विचार न किए जाने तथा काली सूचीबद्ध करने के आदेश की अनिश्चित प्रकृति से कार्यवाही में मनमानेपन एवं अन्यायपूर्ण आचरण का संकेत मिलता है, जिसे विधि में अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिका में आक्षेपित काली सूचीबद्ध करने का आदेश में किसी भी अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तथा इसलिए उक्त आदेश विधि की दृष्टि में अस्थिर है और मनमाना, असंगत तथा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19(1)(ग) का उल्लंघनकारी होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।
23. अपवर्जन को अपथगामी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक उपाय के रूप में मान्यता प्राप्त है, तथापि अपवर्जन का आदेश कभी भी अनिश्चित अवधि के लिए नहीं हो सकता, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में है। अतः, स्थापित विधिक सिद्धांतों के आलोक में, न्यायालय का यह दायित्व है कि वह लोकहित की रक्षा की आवश्यकता एवं प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मध्य संतुलन स्थापित करे, ताकि काली सूचीकरण जैसी प्रशासनिक कार्यवाहियाँ न तो अत्यधिक दण्डात्मक हों और



न ही युक्तिसंगत विधिक औचित्य से रहित। अनिश्चितकालीन काली सूचीबद्ध करने के आदेश को विधिसम्मत रूप से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उससे गंभीर नागरिक परिणाम उत्पन्न होते हैं और इसलिए उसका आधार स्पष्ट कारण, निश्चित अवधि तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन होना चाहिए। आक्षेपित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपर्युक्त) और वेटइंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (उपर्युक्त)** में स्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

24. विचारणीय एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जिस प्राधिकारी ने काली सूचीबद्ध करने का आदेश जारी किया, वह ऐसा करने हेतु सक्षम था। शासनादेश दिनांक 26.07.2024 में यह प्रावधान किया गया है कि चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विसंगति अथवा शिकायत को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित विवादों पर विचार एवं निर्णय करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी है। विवाद की उत्पत्ति इस तथ्य से हुई कि अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इसलिए यह उपयुक्त था कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों, जिनके परिणामस्वरूप काली सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ, से संबंधित विवाद का निर्णय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता। हमारे सुविचारित मत में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभ्यर्थियों के गलत चयन के आरोप लगाए थे, स्वयं काली सूचीबद्ध करने का आदेश पारित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।

25. वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित काली सूचीबद्ध करने का आदेश प्रतिवादी संख्या-4 द्वारा जारी किया गया था, जो हमारे सुविचारित मत में, शासनादेश के आलोक में, ऐसे विवादों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार नहीं रखता। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका केवल शिकायतों को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रेषित करने तक सीमित है, जो कि निर्णय लेने हेतु नामित प्राधिकारी है। अतः, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित काली सूचीबद्ध करने का आदेश वैधानिक अधिकारिता के अभाव में दोषपूर्ण है और इसलिए निरस्त किए जाने योग्य है।

26. उपर्युक्त विचार-विमर्श एवं स्थापित विधिक स्थिति के आलोक में, आक्षेपित आदेश दिनांक 26.11.2025 विधि की दृष्टि में स्थिर नहीं रह सकता और एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा रिट याचिका उक्त सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

27. प्रकरण को विधि के अनुसार नवीन विचारार्थ जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर के समक्ष प्रत्यावर्तित किया जाता है, इस निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पत्र दिनांक 29.09.2025 के संबंध में समस्त आधारों को उठाते हुए तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर के समक्ष नवीन प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता उपर्युक्त निर्देशानुसार ऐसा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त पत्र के संबंध में कारणयुक्त आदेश पारित करेगा तथा काली सूचीकरण एवं उससे संबद्ध समस्त आनुषंगिक प्रश्नों का निर्णय अतिरिक्त चार सप्ताह की अवधि के भीतर करेगा।

28. यह भी उपबंधित किया जाता है कि आठ सप्ताह की अवधि तक अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिए जाने तक, जो भी पूर्व हो, याचिकाकर्ता भावी निविदाओं में भाग लेने का अधिकारी होगा।

29. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार)

(माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी)



12 जनवरी, 2026
कीर्ति

Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।